LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Wednesday, 10 August 2016/ 19 Shravana, 1938 (*Saka*0

No. 70

COMMENCEMENT OF THE SECOND PART OF THE FOURTH SESSION OF THE SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Second Part of the Fourth Session of the Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Monday the 22 August 2016 at 2.00 PM.

ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING THIRD SESSION:

Sittings of the Legislative Assembly have been tentatively fixed for **22, 23, 24 & 26 August 2016.**

TIME OF SITTING:

The Legislative Assembly will sit from 02.00 PM and continue until the business fixed for the day is concluded.

NOTICE OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Second Part of the Fourth Session will be received with immediate effect. As per the direction of Hon'ble Speaker question hour will be held on **22, 23, 24 & 26 August 2016.**

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE FOURTH SESSION (RULE 37):

For the Second Part of the Fourth Session, the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged so far as follows:

Sl. No.	Group of Department	Date of sitting	Last date for receipt of question for the department in Col.2 (upto 3:00 PM)	Date of holding balloting for determination of priority for oral questions (at 5:00 PM)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Administrative Reform Development Education Employment Higher Education	22.8.2016	11.8.2016	11.8.2016

Sl. No.	Group of Department	Date of sitting	Last date for receipt of question for the department in Col.2 (upto 3:00 PM)	Date of holding balloting for determination of priority for oral questions (at 5:00 PM)
	Information Technology Irrigation and Flood Control Law, Justice and Legislative Affairs Revenue Technical Education Vigilance	22.8.2016	11.8.2016	11.8.2016
II	Cooperative DUSIB Election Environment, Forest & Wildlife Excise Finance Food & Supplies General Administration Information & Publicity Planning Services Trade & Taxes Urban Development	23.8.2016	11.8.2016	11.8.2016
III	Family Welfare Food Safety Home Industries Jail Labour Land & Building Medical & Public Health PWD Transport	24.8.2016	12.8.2016	12.8.2016
IV	Art & Culture & Language Gurudwara Elections & Administration Power Social Welfare Tourism Water (DJB) Welfare of SC/ST/OBC/ Minorities Women & Child Development	26.8.2016	12.8.2016	12.8.2016

Note:

(1) A member may give notice of only five questions for a given day {Rule 36 (1)}

(2) Each question should primarily relate to one Department only {(Rule 31 (xxii)}.

(3) Members may kindly note that if notice of question is received after the prescribed deadline such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of notices shall be upto 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for Departments as shown in column 4.

(4) Where the questions draw a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible must be accompanied by the relevant self-attested clipping of the news items. The questions not accompanied by such clippings are likely to be disallowed.

(5) The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received.

(6) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.

(7) Balloting will be held in the room of the Secretary (Room No.54) as per schedule indicated. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

(8) Members are requested to go through Chapter VII of the Rules of Procedure for further details.

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

As per direction of Hon'ble Speaker, Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 04.00 P.M on the date preceding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 12.00 noon on the day on which it is proposed to be raised. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. Any disallowed deviation will be treated as summarily expunged from the proceedings. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS:

The sitting of the House to be held on Friday the 26 August 2016 has been allotted for Private Members' Business.

The last date of receipt of notices of Private Members' Resolutions for Friday the 26 August 2016 is 12 August 2016 up to 3.00 P.M. The balloting shall take place at 4.30 P.M on same day in the room of Secretary. Members are welcome to participate in balloting.

PROCEDURE OF NOTICES:

(a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:

(1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his

division number, and shall be delivered in the Notice Office between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.

(2) A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.

(b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office. **THE NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46**

(c) All notices delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.

(e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours.

VISITOR'S GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 22.08.2016 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e, 19.08.2016. Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them and to assure that any person in the visitor's gallery may not clap or hoot.

NOTE: - CELLULAR PHONE, PAGERS, I-PADS, TABLETS, LAPTOPS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

Prasanna Kumar Suryadevara
SECRETARY

SECOND PART OF FOURTH SESSION OF SIXTH ASSEMBLY

Provisional Calendar of Sittings

Sitting	Date	Day	Business
1.	22 August, 16	Monday	Government Business
2.	23 August, 16	Tuesday	Government Business
3.	24 August, 16	Wednesday	Government Business
4.	25 August, 16	Thursday	**Holiday**
5.	26 August, 16	Friday	Government Business, if any, followed by Private Members' Resolutions.

Prasanna Kumar Suryadevara
SECRETARY

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग–2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

बुधवार, 10 अगस्त, 2016 / श्रावण 19, 1938 (शक)

संख्या– 70

<u>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग का प्रारंभः</u>

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा के चौथे सत्र के भाग–2 का सोमवार, दिनांक 22 अगस्त, 2016 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारंभ होगा।

<u>चौथे सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटनः</u>

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर **22, 23, 24 एवं 26 अगस्त, 2016** के लिए निर्धारित की गई हैं।

<u>विधान सभा की बैठकों का समयः</u>

विधान सभा की बैठकें अपराह्न 02.00 बजे प्रारम्भ होगी और तब तक चलेगी जब तक उसे उस दिन के लिए स्थगित न कर दिया जाए।

<u>प्रश्नों की सूचनाएंः</u>

छठी विधान सभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग के लिए प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी। माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रश्नकाल दिनांक **22, 23, 24 एवं 26 अगस्त, 2016** को होगा।

<u>चौथे सत्र के दूसरे भाग के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनों का आबंटन (नियम–37):</u>

मंत्रियों द्वारा चौथे सत्र के दूसरे भाग में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया हैः–

क्रम सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम–2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि (अप. 03.00 बजे तक)	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप. 05.00 बजे तक)
1.	प्रशासनिक सुधार, विकास, शिक्षा, रोजगार, उच्च शिक्षा, सूचना प्रोद्योगिकी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, विधि, न्याय एवं विधायी मामले, राजस्व, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा सर्तकता	22.08.2016	11.08.2016	11.08.2016
2.	सहकारी, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, चुनाव, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव, आबकारी, वित्त, खाद्य एवं आपूर्ति, सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना एवं प्रचार, योजना, सेवा, व्यापार एवं कर, शहरी विकास,	23.08.2016	11.08.2016	11.08.2016
3.	परिवार कल्याण, खाद्य सुरक्षा विभाग, गृह, उद्योग, जेल,	24.08.2016	12.08.2016	12.08.2016

	श्रम, भूमि एवं भवन, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य, लोक निर्माण, परिवहन,			
4.	कला संस्कृति एवं भाषा, गुरूद्वारा चुनाव एवं प्रशासन, ऊर्जा, समाज कल्याण, पर्यटन, जल, अनुसूचितजाति / जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण,	26.08.2016	12.08.2016	12.08.2016

टिप्पणी:-

1. एक सदस्य एक दिन के लिए केवल 5 प्रश्नों की ही सूचना दे सकेगा (नियम-36(1)।
2. प्रत्येक प्रश्न मुख्यत: एक ही विभाग से संबंधित होना चाहिए (नियम-31(xxii))।
3. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दर्शाये गए कालम 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी । सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक है ।
4. **जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की स्वः सत्यापित कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।**
5. अगर एक ही तरह के विषय पर कई प्रश्नो की सूचनाएँ प्राप्त होंगी तो उन्हें इकट्ठा(क्लब) कर दिया जाएगा।
6. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें । यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कमरा नं.54 में दिए गये समयानुसार की जायेगी । सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलत होने के लिए आमंत्रित है ।
8. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि विवरणों के लिए प्रक्रिया नियमों के अध्याय VII का अवलोकन करें।

नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते है, प्रस्तावित विषय की सूचना मामला उठाने की तिथि से एक दिन पूर्व अपराह्न 04.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग बैठक के दिन दोपहर 12.00 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8–-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें । मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाए गए मामले को सदन की कार्यवाही से निकाला हुआ माना जाएगा। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए ।

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य:

शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016 को होने वाली बैठक गैर सरकारी सदस्यों के लिए आबंटित की गई है।

शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016 के लिए गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त, 2016 को अपराह्न 3.00 बजे तक है। बैलेटिंग उसी दिन सांय 4.30 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में होगी। बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है।

नोटिसों की प्रक्रिया

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार से हैं: -

1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जायेगी तथा सूचना शाखा कार्यालय में ही दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा ।
2. सूचना कार्यालय में उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेगी ।

(ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए । **नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 स्थित है ।**

(ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है ।

(घ) विधान सभा का नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है । अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य

अधिकारी/शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिये गये नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(ड.) माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस शाखा कार्यालय समय के दौरान खुली रहेगी।

दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं । उदाहरणार्थ 22/08/2016 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 19/08/2016 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे । दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यत: उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं तथा माननीय सदस्य यह भी सुनिश्चित करें की दर्शक दीर्घा में कोई भी व्यक्ति न तो खुशी से चिल्लाए, न ताली बजाए और न हूटिंग करे।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल फोन, पेजर, आई. पैड्स, टेबलैट्स, लैप्टोप्स या अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण आदि सदन के बाहर ही रखें।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव

छठी विधान सभा के चौथे सत्र का दूसरा भाग

बैठकों का अस्थायी तिथि-पत्र

बैठक	तिथि	बैठक का दिन	विषय
01	22.08.2016	सोमवार	सरकारी कार्य
02	23.08.2016	मंगलवार	सरकारी कार्य
03	24.08.2016	बुधवार	सरकारी कार्य
04	25.08.2016	बृहस्पतिवार	अवकाश
05	26.08.2016	शुक्रवार	सरकारी कार्य, यदि कोई हो, गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के बाद लिया जाएगा।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव